भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 334

03 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्पा और मसाज केंद्रों द्वारा आयुष/आयुर्वेद शब्दावली का दुरुपयोग

334. श्रीमती रंजीत रंजन:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक या आयुष क्लीनिकों की आड़ में चल रहे अवैध मसाज केंद्रों और स्पा के संबंध में मिली रिपोर्टों पर ध्यान दिया है; जिनमें अनैतिक तस्करी से जुड़े मामले भी शामिल हैं;

(ख) क्या आयुष शब्दावली का उपयोग करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए कोई लाइसेंसिंग, निरीक्षण या निगरानी तंत्र मौजूद है, यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पंजीकरणों को रद्द या निलंबित किया गया है;

(ग) क्या मंत्रालय अवैध गतिविधियों के लिए आयुष प्रणालियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है; और

(घ) नियमन को मजबूत करने, चिकित्सकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और आयुष प्रणालियों की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन-स्वास्थ्य संबंधी विषय जिसमें आयुर्वेदिक अथवा आयुष क्लीनिकों, मसाज केंद्रों और स्पा जैसे नैदानिक प्रतिष्ठानों का विनियमन, लाइसेंसिंग, निरीक्षण और निगरानी शामिल है, मुख्य रूप से राज्य का विषय है। आयुष मंत्रालय क्लीनिकों, मसाज केंद्रों या स्पा के लिए लाइसेंस जारी नहीं करता है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) दवाओं हेतु भेषजसतर्कता कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम देश भर में फैले एक समर्पित त्रि-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है जिसमें 01 राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), 05 मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) और 97 परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) शामिल हैं। सभी पीपीवीसी/आईपीवीसी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए)/आक्षेपणीय विज्ञापनों (ओए) और संदिग्ध प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं (एडीआर) की रिपोर्ट संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को की जाती है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देने वाली आयुष दवाओं सहित औषधियों एवं औषधीय पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों के निषेध के प्रावधान हैं और सरकार ने इस पर ध्यान दिया है।

आयुष मंत्रालय ने दिनांक 18 अप्रैल, 2024 को "एएसयू एंड एच दवाओं/औषधियों के लिए लेबलिंग प्रावधानों के अनुपालन" के संबंध में एडवाइजरी जारी की है।

भ्रामक विज्ञापनों/आक्षेपणीय विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 (3)-ख और आईटी नियम, 2021 के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) में समन्वयक को नामित किए जाने के संबंध में दिनांक 21.11.2025 की राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने दिनांक 30 मई 2025 को एक आईटी-सक्षम ऑनलाइन पोर्टल "आयुष सुरक्षा" पोर्टल का शुभारंभ किया है, ताकि एडीआर और भ्रामक विज्ञापनों की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग, निगरानी और विश्लेषण किया जा सके तथा आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामक निगरानी बढ़ाई जा सके।

विनियमन को सुदृढ़ करने, पेशेवरों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और आयुष पद्धतियों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, आयुष मंत्रालय ने विधायी सुधारों, डिजिटल पहल और कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के जरिए व्यापक उपाय किए हैं। प्रमुख उपायों में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 को अधिनियमित करना तथा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष वर्टिकल के माध्यम से केंद्रीकृत औषधि विनियमन शामिल हैं। आयुष मंत्रालय के तहत सांविधिक निकायों के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) ने शिक्षा और अभ्यास के लिए एक समान मानक लागू किए हैं, लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया है, आयुष पद्धतियों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जन-विश्वास सुनिश्चित करने के लिए नैतिक और व्यावसायिक आचरण विनियमों को लागू किया है।

*****